



कार्यालय विक्रय अधिकारी बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारां

कमांक-फा.0बानासबैकव.प्र.कार्या./2025-26/केस-01/खाता-405115/शाखा-तेलफैक्ट्री बारां/(अनुलग्नक-सी) 637-644 दिनांक-05.02.2026

चल/अचल सम्पत्ति की बिक्री/नीलामी करने हेतु पूर्व स्थगित विक्रय की उदघोषणा/सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए परिशिष्ट 4 क प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 8(6) का प्रावधान)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में विक्रय की उदघोषणा के तहत नीलामी कार्यवाही अग्रकृत तिथि, स्थान, समय पर की जायेगी। जिसमें ऋणी/सम्पत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट न0 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां द्वारा बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0 बारां की शाखा तेल फैक्ट्री एरिया बारां जिला-बारां राजस्थान से स0लि0 खाता 003131401000115 से ऋण ले रखा है। इनके जमानतदार/गारन्टर श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटूलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां, श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां है। इनके द्वारा बैंक का बकाया ऋण जमा नही करवाया गया, इस कारण इनकी बैंक में रहन अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नोटिस वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत चल/अचल आस्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री, दिनांक-09.03.2026 को दोपहर 03 बजे से, प्लॉट न0 22 पुरानी नाकोडा कॉलोनी बारां जिला बारां (राज0) पर की जायेगी। यह नीलामी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 6(2) और 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अधीन होगी। आम जनता और खास तौर पर उधारकर्ता, /बंधककर्ता और गारन्टर को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति/सम्पतियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, उनसे उल्लेखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए नागरिक सहकारी बैंक लि0 बारां द्वारा सुरक्षित ऋणदाता/गारन्टरो/पंचगणों के समक्ष ले लिया गया है, उनसे उल्लेखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जहाँ है, जैसा है" और जो है, जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा/सार्वजनिक बोली के द्वारा नीलाम किया जायेगा। उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारन्टर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/सार्वजनिक नीलामी तिथि और समय, बयाना राशि और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है, के अनुसार की जायेगी। जो निम्नानुसार है तथापि बोली समाप्त होने से पहले ऋणी द्वारा बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा। नीलामी की शर्तें बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड के पास बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। एवं बैंक की वेबसाईट www.bnsb.bank.in में दिए लिंक पर भी देखें।

क्र	उधारकर्ता/बंधककर्ता की विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण संपत्ति का निरीक्षण की तिथि एवं समय/कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	नीलामी की दिनांक एवं समय	नीलामी रजिस्ट्रेशन का समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (रु0) एवं आरक्षित मूल्य	गारन्टर/जमानतदार का नाम, पता एवं मो0
1	ऋणी/संपत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट न0 22 पुरानी नाकोडा कॉलोनी बारां जिला बारां (राज0) की अचल सम्पत्ति पिन - 325205 माल कल्याणपुरा खसरा न0 -280 में प्लॉट सं0-22 पर निर्मित मकान अवस्थित पुरानी नाकोडा कालोनी तेल फैक्ट्री बारां साईज 30x42 =1260 वर्गफीट आवासीय संपत्ति जिसमें ग्राउण्ड पर छः कमरे, एक रसोई,पट्टी पोश, खुला चौक,जीना/सीढियाँ एवं प्रथम तल पर तीन कमरे आर. सी.सी. खुली छत जिसका मोरगेज दिनांक-04.01.2018 को चर्तुसीमाएं- पूर्व-प्लॉट न0-23, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- प्लॉट न0-21, दक्षिण-प्लॉट न0-35 दिनांक-30.11.2024 को पंचनामा अनुसार उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा	09.03.2026 दोपहर 03 बजे से	09.03.2026 को 11:00 बजे से 03:00 बजे तक	मकान श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय, प्लॉट न0 22 पुरानी नाकोडा कॉलोनी बारां जिला बारां (राज0)	(01) बकाया राशि:- रु0 1371911.88 दिनांक-27.10.2025 को एवं ब्याज 12.00 प्रतिशत ता तारीख, वसूली खर्चा 10 प्रतिशत तथा अन्य वसूली योग्य खर्च अतिरिक्त	1. श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटूलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो0-9001229250 2. श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो0-9784847111

नीलामी की शर्तें :- जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।

- रजिस्ट्रेशन राशि 5000/-रु0 रहेगी, जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास दिनांक-09.03.2026 को दिन के 11:00 बजे से 03:00 बजे तक नकद जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
- नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होंगे, नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली में रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/-रु0 के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढ़ती रहेगी।
- नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे अपनी बोली राशि का 25 प्रतिशत तुरन्त उसी दिन जमा कराना होगा, उक्त समयवाधि में राशि जमा नही होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- शेष बकाया नीलामी राशि 15 दिवस के भीतर बैंक के प्रधान कार्यालय बारां में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास जमा करानी होगी। 15 दिवस के भीतर शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नही कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड़ सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
- नीलामी बोली उस समय तक अस्थायी होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
- नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नही होगा।
- चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अन्तर्गत की जावेगी।
- मौके पर अवस्थित अचल सम्पत्ति भौतिक/प्रतिकाल्मक कब्जा या रचनात्मक कब्जा "जहाँ है, जैसी है" और जो है, जो कुछ भी है" के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
- उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ऋण, एवं सम्पत्ति ट्रांसफर खर्च क्रेता को वहन करना होगा।
- नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर पधारकर बोली लगावे।

विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि.

(कृ०पृ०उ०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

- 1 श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बैंक बारां।
- 2 श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, बैंक बारां।
- 3 शाखा प्रबन्धक शाखा मुख्यशाखा बारां/प्र0 कार्या0 शाखा बारां/तेलफेक्ट्री एरिया बारां शाखां/छबडा/अन्ता/मांगरोल/अटरू/छीपाबडौद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें
- 4 ऋणी/सम्पत्ति मालिक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-प्लॉट न0 22 पुरानी नाकोडा कालोनी बारां
- 5 जय श्रीमति कैलाशी बाई पत्नि स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय व श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय , ऋणी प्रदीप कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रामाशीष पाण्डेय निवासी-हाउसिंग बोर्ड, झालावाड रोड बारां
- 6 जमानतदार- श्री देवकिशन नागर पुत्र श्री छोटूलाल निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो0-9001229250
- 7 जमानतदार- श्री हरीश नागर पुत्र श्री नवल किशोर नागर निवासी-जवाहर नगर हॉउसिंग बोर्ड बारां मो0-9784847111
- 8 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु बैंक।




विक्रय अधिकारी
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि.